

1/4/26

पत्नावली पेशा ईश्वर यशोवन्त उभयपक्ष उप.  
 प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र CPC जोड़ा 7 नियम  
 11(जी) संपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया  
 संहिता पेश किया गया। प्रतिवादी को  
 प्रार्थना पत्र उभयपक्षों द्वारा बहल मरी गई।  
 विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एवं वाद  
 में सभी सदस्यताओं को आवश्यक रूप से  
 पक्षकार बनाया जाना चाहिए किन्तु उक्त वाद में  
 वाद अभीन कृषि भूमि भूमि खसरा सेख्या 496,  
 346 राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में पूर्व सदस्यताधार  
 प्रथान पुत्र मदन प्रजापत का नाम पूर्व होने हुए  
 भी वादी ने अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाया।  
 अतः उक्त वाद में प्रार्थना जोड़ा 7 नियम 11(जी) संपठित  
 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार करने हुए जारी  
 किया जाता है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
 अराँई (अजमेर)

**न्यायालय उपख**

यह दावा अन्तर्गत 4  
 पारीक एडवोकेट

1.	क्या वाद प अन्तर्गत है
2.	क्या वाद है ?
3.	क्या वाद वादा ?
4.	व
5.	
6.	